...ायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली) राज०

...सीन अधिकारी : **डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०**

...स्व वाद संख्या : 135/2020

...MS NO. : **2020/00253**

-: प्रार्थीगण :- बनाम **-: अप्रार्थीगण :-**

प्रार्थीगण

1. ओमप्रकाश पुत्र आसूराम
2. कानाराम पुत्र बालू
3. श्यामलाल पुत्र मोहन
4. दीपराम पुत्र मंगलाराम जातियान रेगर निवासीगण रास तहसील जैतारण जिला पाली राजस्थान।

अप्रार्थीगण

1. शिवजी पुत्र आईदान
2. लिछमण पुत्र आईदान
3. मोडा पुत्र हजारी
4. घासीराम पुत्र रूगनाथ
5. देवीराम पुत्र रूगनाथ
6. अर्जुन पुत्र सगराम फौत के का.मु.
   6.1 अमान पुत्र अर्जुन
   6.2 रूपाराम पुत्र अर्जुन
7. दाखु पत्नी बक्षा फौत के का.मु.
   7.1 सुखाराम पुत्र बक्षा फौत के कायम मुकाम
   7.1.1 भिखाराम गोदपुत्र सुखाराम
8. गिरधारी पुत्र भंवरलाल
9. पपू पुत्र भंवरलाल
10. रूगला पुत्र तेजा फौत के का.मु
    10.1 छीतर पुत्र रूगला
    10.2 सुवाराम पुत्र रूगला
11. मोहन पुत्र भीया फौत के का.मु.
    11.1 दाकू पत्नी मोहन
    11.2 गोपाराम पुत्र मोहन
    11.3 देवीलाल पुत्र मोहन के का.मु.
    11.3.1 जानकी पत्नी देवीलाल
    11.3.2 भरतकुमार पुत्र देवीलाल
12. अमरा पुत्र गीगा फौत के का.मु.
    12.1 सुवालाल गोदपुत्र अमरा
13. उगमाराम पुत्र मंगलालराम
14. दिनेश पुत्र मूलाराम
15. किरण पुत्र मूलाराम
16. अन्जू पुत्री मूलाराम
17. मन्जू पुत्री मूलाराम
18. शारदा पत्नी मूलाराम
19. पपुराम पुत्र बिंजाराम
20. मलाराम पुत्र बिंजाराम
21. बिदामी पत्नी बिजाराम विलोपित
22. शंकर पुत्र बालू
23. बोदू पुत्र बालू
24. नारायण पुत्र बालू
25. [illegible]ठाराम पुत्र बालू
26. [illegible] पुत्र किसना के फौत के का.मु.
    26.1 [illegible]लाल पुत्र भंवरू
    26.2 बंशीलाल पुत्र [illegible]
    26.3 मदन पुत्र भं[illegible] का.मु.
    26.3.1 गौतम पुत्र मदन

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:39:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

27. लादू पुत्र जवान
28. माना पुत्र जवान जातियान रेगर निवासीगण रास तहसील जैतारण।
29. कमला पत्नी प्रभुजी फौत के का.मु.
29.1 दौलत गोदपुत्र प्रभुजी जाति रेगर निवासी रास
30. मंगलाराम पुत्र छोगाराम जाति भांवी निवासी रास तहसील जैतारण।
31. पटवारी, पटवार हल्का रास प्रथम तहसील जैतारण जिला पाली।
32. तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली।

राजस्वप्रार्थना पत्रबाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा **अन्तर्गत धारा 212राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955** **तारीख रजू:-22.10.2020**

उपस्थितः-

1. श्री धर्मेश जांगिड़, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री महावीरसिंह उदावत, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 16/08/2022**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा रास पटवार हल्का रास प्रथम तहसील जैतारण जिला पाली में सायलान की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 149 रकबा 42-16 बीघा किस्म बारानी दोयम आयी हुई है। उक्त कृषि भूमि सायलान व गैरसायलान संख्या 01 से लगायत 30 की शामलाती है तथा उक्त कृषि भूमि में सायलान का हिस्सा कायम है। तथा सायलान अपनी उक्त आराजी पर हिस्से माफिक कृषि भूमि पर काबिज होकर कब्जाकाश्त खातेदार है। सायलान एवं गैरसायलान संख्या 01 से 30 के बीच आये दिन हिस्सेदारी को लेकर छोटी मोटी लडाईया हो जाती है। गैरसायल संख्या 01 से लगायत 30 में से कई खातेदार अपने हिस्से की जमीन को बेचने चाहते है। जिससे सायलान व गैरसायलान संख्या 01 से 30 क बीच में दखलन्दाजी होती है। दिनांक 01.08.2020 को गैरसायलान व सायलान के बीच कहासुनी हो गई। वादग्रस्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा किया जाकर सायलान व गैरसायलान का अलग अलग खाता खोले जाकर मौके पर नेकमबंदी की जाकर मुड्डे रोपे जावे ताकि सायलान अपनी जमीन में खाद बीज डालकर जमीन को और उपजाऊ बना सके तथा तरीके से खेती कर सके। गैरसायलान संख्या 31 व 32 को म्यूटेशन भरने व कोई भी दस्तावेज उक्त भूमि का विक्रय बाबत् या अन्य कोई पंजीयन करने से दावे के निर्णय तक जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जावे। सायलान वादग्रस्त भूमि में अपने हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार होने से इनका प्रथम दृष्टया मामला मजबूत है। मौके पर कब्जा भी सायलान का है इसलिए सुविधा का संतुलन भी सायलान के हक में बराबरी साबित है यदि गैरसायलान ने उक्त भूमि में से सायलान के हक को अवैध व गैरकानूनी रूप से कब्जा, बैचान, हस्तान्तरण, रहन, बक्सीस, वसीयत कर दिया व सालयान के हिस्से की कब्जा काश्त कृषि भूमि में किसी प्रकार का व्यवधान उपयोग उपभोग में दखलन्दाजी

Signature Not Verified
Digitally Signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:39:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

तो सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नही गी। अन्य कोई सहायता जो सायलान के पक्ष में हो दिलवायी जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को रिए नोटिस/सम्मन तलब किया। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 20 तथा 22 से 30 की ोर से वकालतनामा पेश हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 20 तथा 22 से 30 को पर्याप्त अवसर देने के बावजूद जवाब पेश नही करने से जवाब प्रार्थना पत्र अवसर बंद किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 21 की फौत होने एवं उसके कायम मुकाम पहले से ही रेकर्ड पर होने से अप्रार्थीगण संख्या 21 का नाम विलोपित किया गया।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात, गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार हैः–

(01) प्रथम दृष्ट्या मामला :– वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् वादपत्र प्रस्तुत कर हस्तगत अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की अविभाजित सहखातेदारी भूमि है, अप्रार्थीगण बिना बंटवाड़ा करवाये किसी विशिष्ट भू भाग के बैचान पर आमादा है, जिससे सहखातेदारान् के मध्य बार बार विवाद उत्पन्न होता है एवं अप्रार्थीगण बंटवाड़ा करवाने पर सहमत नही है। प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार होने से अपने हक हिस्से तक कानूनन बंटवाड़ा करवाने के अधिकारी है, अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

अप्रार्थीगण संख्या 01 से 20 तथा 22 से 30 को पर्याप्त अवसर देने के बावजूद जवाब पेश नही करने से जवाब प्रार्थना पत्र अवसर बंद किया गया।

वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख, प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी उभयपक्ष की अविभाजित सहखातेदारी आराजी है जिसका प्रत्येक सहखातेदार अपने हिस्से तक कानूनन बंटवाड़ा करवाने का अधिकारी होता है। तथा अविभाजित आराजी के संबंध में किसी भी विशिष्ट भू भाग को किसी विशिष्ट खातेदार का नही माना जा सकता। चूंकि हस्तगत वादपत्र बंटवाड़े से संबंधित है, तथा प्रार्थीगण सहखातेदार है जो बंटवाड़ा करवाने के अधिकारी है, अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

(02) सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति :–चुंकि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित हुआ हैं, साथ ही प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण वादग्रस्त अविभाजि आराजी के सहखातेदार है तथा हिस्से अनुसार मौके पर का[illegible] एवं उपयोग उपभोग में है अतः सुविधा का संतुलन अपने हक हि[illegible] पक्ष में माना जाता है साथ ही अविभाजित आराजी के बिना बंटवाड़ा ह[illegible]ण से प्रकरण में मौके की स्थिति को लेकर न केवल काश्तकारो के मध्य विवाद उत[illegible] होता है बल्कि प्रकरण के सम्यक विस्तारण में भी अनावश्यक जटिलता एवं विलम्ब कारित होता है अतः यदि अस्थाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:39:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

षेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होना संभव है अतः र्युक्त दोनो बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होने से प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किए ाते है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है के वादग्रस्त आराजी उभयपक्ष की अविभाजित सहखातेदारी भूमि है तथा प्रार्थीगण द्वारा बंटवाड़ा बाबत् वादपत्र प्रस्तुत किया है, लिहाजा तापैसलावाद उभयपक्ष को वादग्रस्त आराजी का बैचान हस्तान्तरण नही करने व वर्तमान भू अभिलेख में परिवर्तन नही करने बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

–: आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली–भाँति साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। उभयपक्षकारान को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे तापैसलावाद वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा रास पटवार हल्का रास प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास तहसील– जैतारण जिला– पाली (राजस्थान) में स्थित खसरा संख्या 149 रकबा 42–16 बीघा किस्म बारानी दोयम के वर्तमान भू अभिलेख में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नही करे, बैचान, हस्तान्तरण आदि नही करे। पत्रावली इसी निमित निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज, दिनॉक 16/08/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:39:38 IST
Reason: SelfAttested